



Neutral Citation Number- 2026:AHC:50564

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5649/2026

अब्दुल मजीद और अन्य

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: मनोज कुमार गौतम

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., जैनुल अब्दिन

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. सूची संशोधित की गयी । याचिकाकर्ता की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-इत्तलाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जैनुल अब्दिन उपस्थित हैं।
2. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



" ए . प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा दिनांक 06.11.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द करने के स्वरूप का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए; तथा इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या-2 को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वह 'प्रत्यावाहन आवेदन' पर विचार करे और सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उचित आदेश पारित करे।"

3. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रत्यावाहन आवेदन प्रत्यर्थी संख्या-2 के समक्ष विचाराधीन है।
4. यदि ऐसा है तो प्रत्यर्थी संख्या-2-उप जिला मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद को शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया)

12 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"